संख्या : 47 दो(2)/XXXVI(1)/2006-5 दो(2)/04

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 1० जनवरी, 2007

विषय: मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में मा० मुख्य न्यायमूर्ति कोर्ट ब्लाक (अनावासीय) में बाउन्ड्रीवाल, रेलिंग एवं पोर्च के आंगन में पक्का फर्श व कमरों में लकड़ी की अलमारी बनाने के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3011/UHC/Admin.B/Const./2006, दिनांक 7.11.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में मा० मुख्य न्यायमूर्ति कोर्ट ब्लाक (अनावासीय) में बाउन्ड्रीवाल, रेलिंग एवं पोर्च के आंगन में पक्का फर्श व कमरों में लकड़ी की अलमारी बनाने के कार्य हेतु रू० 10,17,000/- के आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रू० 10,05,000/ (रुपये दस लाख पांच हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल रुपये 10,05,000/ (रुपये दस लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(9) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XII/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें ।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059 लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60 अन्य भवन-051-निर्माण-00-आयोजनागत-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जावेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या 751/XXVII(5)/2006, दिनांक 15.12.06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-47-दो(2)/XXXVI(1)/2006-5-दो(2)/04-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

10010700 4

10010701 3 P12